न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1060/2026
नौतन थाना कांड सं0–69/2026 से उत्पन्न
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 351(3),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

अमित यादव..... आवेदक/अभियुक्त
बनाम
बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः– श्री शशिभूषण राय, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

04.06.2026

आवेदक/अभियुक्त अमित यादव की ओर से नौतन थाना कांड संख्या 69/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक हृदया नंद पटेल के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दिनांक 20.02.2026 को समय करीब 07:30 बजे संध्या में सूचक का बेटा गॉव के दुकान पर अण्डा खा रहा था तभी सूचक के ही गॉव का युवक प्रवीण कुमार उर्फ विधायक अण्डा खाने के दौरान उसके साथ गाली–गलौज कर रहा था। ऐसा करने से सूचक ने मना किया तो उसके साथ झगड़ा करने लगा तभी प्रवीण कुमार उर्फ विधायक सूचक को धमकी देने लगा कि वे लोग उसे जान से मरवा देंगे। सूचक अपने दरवाजा पर बैठा था तभी पांच मोटरसाईकिल से दस से बारह की संख्या में कुछ लड़के आये और उसके घर के सामने मोटरसाईकिल रोक कर उसके तरफ इशारा करते हुए सूचक के बेटा पर जान मारने की नियत से बंदूक से फायरिंग कर दिये तो उसके बेटे के पास से गोली निकली तभी सूचक का बेटा जमीन पर गिर गया। गोली चलाने वाले का नाम भोला सिंह उर्फ अनुज प्रसाद है। इसके साथ प्रवीन कुमार उर्फ विधायक, मंजीत मांझी, **अमित यादव(आवेदक/अभियुक्त)**, विवेक यादव, बबन यादव एवं चार–पांच अज्ञात लोग है जिनका नाम सूचक नहीं जानता पर उनको चेहरा से पहचान सकता है। सभी लोग हाथ में रड़, हॉकी लिए हुए थे। जैसे ही भोला उर्फ अनुज राय सूचक के बेटे पर चलाया तभी वो जमीन पर गिर गया तब सूचक को लगा कि उसके बेटे को गोली लगी है। जैसे ही सूचक दौड़कर अपने बेटा के पास गया तो भोला उर्फ अनुज राय एवं उसके साथ एक और फायरिंग करते हुए उत्तर प्रदेश की भाग गये। सभी अभियुक्त लोग अपराधिक प्रवृति के है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे ग्रामीण राजनीति एवं

लगातार
04.06.2026

पूर्व के दुश्मनी के कारण झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं इसके विरूद्ध कोई अन्य मुकद्मा दर्ज नहीं है। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा वह न ही घटनास्थल पर मौजूद था और न ही उसका सह अभियुक्त से कोई संबंध है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 109 बी.एन.एस. को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। धारा 109 बी.एन.एस. आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक एवं उसके बेटा पर आग्नेयाशस्त्र से जान मारने की नियत से फायरिंग करने का अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, नौतन थाना कांड संख्या 69/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट, आवेदक/अभियुक्त अमित यादव के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके बेटा के साथ गाली–गलौज कर जान मारने की नियत से आग्नेयाशस्त्र से फायरिंग करने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा अनुसंधान के क्रम में अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में तथाकथित घटना का समर्थन किया है। (कांड दैनिकी की कंडिका 05,06 में वर्णित)। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता के आलोक में आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त अमित यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।